

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 1278 दिनांक :- 20.7.2024

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:— बी०बी०ए० तथा बी०सी०ए० पाठयक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांकः सम्बद्धता / 1234, दिनांक 17.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध संस्थानों / महाविद्यालयों में संचालित बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठयक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता निर्धारित की गयी थी।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.05.2024 एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 20.06.2024 में पारित निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में संचालित बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठयक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता पुनः निर्धारित की जाती है। जो कि

Qualification for recruitment of teachers for the BBA program.

Degree in any and Master's Degree discipline Administration/PGDM/C.A/ICWA/M.Com with First Class or equivalent and two years of professional experience after acquiring the degree of Master's degree.

However, such appointments shall be made for one year only & will not be renewed automatically. Further, the benefit of such teaching experience will not be counted for the post of Principal in self-finance colleges or anywhere else.

Qualification for recruitment of teachers for the BCA program.

B.E/B.Tech./B.S. and M.E./M.Tech./M.S. or integrated M.Tech in relevant branch with first Class or equivalent in any one of the degrees.

OR

B.E., B.Tech. and MCA with First Class or equivalent in any one of the two degrees.

Graduation of three yeras' duration With Mathematics as a compulsory subject and MCA with First Class or equivalent with 2 Years of relevant experience after acquiring the degree of MCA.

However, such appointments shall be made for one year only & will not be renewed automatically. Further, the benefit of such teaching experience will not be counted for the post of Principal in self-finance colleges or anywhere else.

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।

02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ। 03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)